

बिहार विरासत विकास समिति
कला एवं संस्कृति विभाग
बुद्धमार्ग, पटना- 800001

कोटेशन आमंत्रण सूचना

बिहार विरासत विकास समिति, पटना द्वारा सासाराम जिले में अवस्थित राज्य सुरक्षित स्मारक अलावल खां का मकबरा परिसर की साफ-सफाई एवं प्रारंभिक संरक्षण कार्य हेतु इच्छुक एजेंसी/संस्था/फर्म से कोटेशन आमंत्रित की जाती है।

कोटेशन के संबंध में विस्तृत विवरणी बिहार विरासत विकास समिति के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है। कोटेशन कार्यपालक निदेशक, बिहार विरासत विकास समिति, बुद्धमार्ग, पटना-800001 के पते पर दिनांक 25/08/2026 के 03:00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किया जायेगा।

कार्य का विवरण-

सासाराम जिले में अवस्थित राज्य सुरक्षित स्मारक अलावल खां का मकबरा परिसर की साफ-सफाई एवं प्रारंभिक संरक्षण का कार्य:-

क्र०सं०	कार्य का नाम	स्थान	कार्य का क्षेत्रफल	कार्य समाप्ति की अवधि
1	साफ-सफाई एवं प्रारंभिक संरक्षण	राज्य सुरक्षित स्मारक अलावल खां का मकबरा परिसर, सासाराम	लगभग 5440 SQM	30 दिन

तकनीकी शर्तें-

कोटेशन के साथ निम्न कागजात संलग्न करना अनिवार्य है:-

- एजेंसी का निबंधन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- एजेंसी का GST निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- एजेंसी का पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
- एजेंसी किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
- समान प्रकृति का कार्य अनुभव रखने वाले संस्था/फर्म को सरकारी निजी संस्थानों में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र दिये जाने पर प्राथमिकता दी जाएगी।

वित्तीय शर्तें-

- दर में सभी कर, मजदूर, लोडिंग-अनलोडिंग, वाहन भाड़ा, केमिकल, मशीन इत्यादि सहित कोट करना होगा।
- कार्य का भुगतान कार्य समाप्ति के उपरांत प्राप्त विपत्र में आवश्यक वैधानिक कटौतियाँ करते हुए की जायेगी।
- कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही/कमी पाये जाने की स्थिति में विपत्र से अनुपातिक राशि की कटौती की जायेगी।
- बिहार विरासत विकास समिति द्वारा अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।

अन्य शर्तें—

- i. एजेंसी द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मों कार्य के दौरान निर्धारित Safety Wear Equipment इत्यादि के साथ कार्य करेंगे।
- ii. अगर कार्य के दौरान कोई कर्मों दुर्घटनाग्रस्त होता है तो इसके लिए बिहार विरासत विकास समिति जिम्मेवार नहीं होगा।
- iii. एजेंसी द्वारा राज्य सुरक्षित स्मारक अलावल खां का मकबरा परिसर, सासाराम की साफ—सफाई एवं प्रारंभिक संरक्षण का कार्य मजदूरों द्वारा मैनुअल कराना होगा। परिसर में किसी प्रकार के वाहन, भारी उपकरण इत्यादि का प्रवेश वर्जित रहेगा।
- iv. साफ—सफाई से प्राप्त कुड़े कचड़ा का निष्पादन निर्धारित मानक के अनुरूप करना होगा।
- v. सभी कार्य बिहार विरासत विकास समिति के तकनीकी दल के पर्यवेक्षण में करना होगा।
- vi. कोटेशन के माध्यम से चयनित एजेंसी द्वारा कार्य संतोषप्रद नहीं करने की स्थिति में उक्त दर पर किसी अन्य एजेंसी से कार्य कराने का अधिकार बिहार विरासत विकास समिति को सुरक्षित होगा।
- vii. बिना कारण बताये कोटेशन को रद्द करने का अधिकार बिहार विरासत विकास समिति को सुरक्षित होगा।
- viii. सुरक्षित स्मारक के कार्यों को कराने के दौरान स्मारक का मूल स्वरूप में कोई छेड़—छाड़ नहीं करना होगा।

अनिल कुमार 16/8/24
कार्यपालक निदेशक
बिहार विरासत विकास समिति
3